

फर्द अहकाम

(नियम 13)

56

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री पीर खान

हलका भूका वडातसिह

पुत्र श्री दुर्गे खान जाति

निवासी- भूका वडातसिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 56 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वडातसिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2013 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि 5/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी शकरीप कार्ड हेतु मोघपुर पचारे हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	पीर खान
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा वो दिया जाकर दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।	पीर खान

तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर

27-1-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपास्थित होकर जवाब देना सायल को ही दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीनलिन अधिकारी का उद्युती पर सिवना पद्यारे से पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना इच्छित भवत दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई बिधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली केसल सुमार है। निष्पत्ति अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली केसल सुमार देकर दायित्व उद्धार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर